भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1642

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी

†1642. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री संजय दिना पाटील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत देशभर के ग्रामीण स्कूलों में योग्य शिक्षकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं;

(ग) क्या दूर-दराज के गांवों में शिक्षकों को ग्रामीण भत्ते या आवास सुविधाएं जैसे कोई प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन क्षेत्रों में शिक्षकों के कौशल विकास के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम या कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों को बहु-ग्रेड शिक्षण परिदृश्यों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है;

(च) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रही है, यदि हां, तो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे डिजिटल उपकरणों और ई-लर्निंग प्लेटफार्मों का ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है;

(ज) क्या सरकार गांव के स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/निजी संस्थानों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग कर रही है; और

(झ) यदि हां, तो ऐसे सहयोगों का ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव देखा गया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) : देश भर में योग्य शिक्षकों की कमी वाले ग्रामीण स्कूलों की संख्या के साथ-साथ महाराष्ट्र के ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या के आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखे जाते हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती, ग्रामीण भत्ते या आवास सुविधाओं सहित सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के दायरे में आती है। इसके अलावा, भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण शिक्षकों की बढ़ती आवश्यकता आदि जैसे कई कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से, समय-समय पर संशोधित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक रिक्तियों को भरने के संबंध में प्रगति, निरंतरता और पवित्रता के लिए उचित देखभाल के साथ और प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता नियोजन और पूर्वानुमान अभ्यास के बाद, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(घ) से (छ): शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह शिक्षक योग्यता को बढ़ाने, नवीन शैक्षणिक प्रथाओं को बढ़ावा देने और शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर एनईपी 2020 की प्राथमिकता के साथ अनुकूलित है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रस्तुत किए जा रहे शैक्षणिक दृष्टिकोण से शिक्षकों को बहु-ग्रेड शिक्षण परिदृश्य को संभालने में भी सक्षम बनाया गया है।
पिछले तीन वर्षों में एनसीईआरटी द्वारा संचालित विभिन्न निष्ठा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों की राज्यवार संख्या https://www.education.gov.in/parl_ques पर अनुलग्नक में उपलब्ध है।

(ज) और (झ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं)/नवोदय विद्यालय संगठन (नविसं)/एकलव्य मॉडल आवासीय

विद्यालय (ईएमआरएस) जैसे संगठनों द्वारा निर्धारित किए गए प्रमुख संसाधन व्यक्तियों (केआरपी) के लिए एनईपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप स्कूल शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये केआरपी देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों सहित सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

*****

अनुलग्नक

"सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की कमी" के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील, श्री भास्कर मुरलीधर भगरे, श्रीमती सुप्रिया सुले, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे और श्री संजय दिना पाटील द्वारा पूछे गए दिनांक 10 मार्च, 2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1642 के भाग (घ) से (छ) में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों में एनसीईआरटी द्वारा संचालित विभिन्न निष्ठा कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या			
	निष्ठा प्रारंभिक	निष्ठा माध्यमिक	निष्ठा एफएलएन	निष्ठा ईसीसीई
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3979	2115	1715	371
आंध्र प्रदेश	92843	28678	33495	2149
अरुणाचल प्रदेश	5738	965	1866	158
असम	2228	44995	19350	548
बिहार	288917	41264	216399	1313
चंडीगढ़	4019	2397	1894	200
छत्तीसगढ	111936	30645	38036	3092
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1859	280	1263	534
दिल्ली	24156	13370	8260	2411
गोवा	2890	7229	4815	1382
गुजरात	108135	62099	63188	2285
हरियाणा	63239	18093	20584	1131
हिमाचल प्रदेश	12020	19580	5221	358
जम्मू और कश्मीर	92646	24612	47970	29698
झारखंड	88524	12995	42583	947
कर्नाटक	145801	68549	105720	17229
केरल	एन.आई.		481	518
लद्दाख	4514	1381	1602	1061
लक्षद्वीप	एन.आई.	350	327	0
मध्य प्रदेश	261997	45541	121721	3709
महाराष्ट्र	23857	109583	65628	2554
मणिपुर	11053	3658	7344	202

मेघालय	20475	3358	1405	325
मिजोरम	2607	2276	1539	69
नागालैंड	1327	3042	4087	2397
ओडिशा	174197	16331	67982	7084
पुदुचेरी	3611	2070	1582	21
पंजाब	622	3056	45590	1902
राजस्थान	173265	113881	135811	43062
सिक्किम	एन.आई.	4345	3785	231
तमिलनाडु	एन.आई.		857	958
तेलंगाना	एन.आई.	53411	41338	554
त्रिपुरा	11492	202	15086	90
उत्तर प्रदेश	525928	डी. एन.आई.	201275	25266
उत्तराखंड	689	23927	28178	1124
पश्चिम बंगाल	एन.आई.		571	553
कुल	**2264564**	**764278**	**1358548**	**155486**

स्रोत: एनसीईआरटी

एन.आई. - लागू नहीं किया गया

डी.एन.आई. - बंद कर दिया गया और अभी तक लागू नहीं किया गया